Alumina/Aluminium Plant in Korput, Orissa

4210. SHRI GIRDHAR GOMANGO: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) is it a fact that, his Ministry has finalised to set up Alumina/Aluminimum Plant near Patalput, Kora-District of Orissa;

(b) the content of contract agreed by the Government of India with Iran and France for the plant; and

(c) whether his Ministry intimated the decision to the Government of Orissa?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) to (c). The question of setting up an alumina/aluminium plant based on the bauxite deposits in Orissa is engaging the attention of the Government of India. No final decision, other than commissioning of a Feasibility Study, has yet been taken in the matter.

भिलाई इस्पात संयंत्र में मृत और सेवा से हटाये गये श्रमिक और उनके परिवारों को दिया गया मुआवजा

4211. श्री मोहन भैय्या : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात वर्क्स कन्सट्रक्शन में काम करते हुए कितने श्रमिक मृत्यु को प्राप्त हुए और कितने अपंग हुए ;

(ख) क्या उन श्रमिकों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है और यदि कुछ मामलों में भुगतान किया जाना है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने में (इसका निर्माण प्रभाग भी शामिल है) वर्ष 1975 से 1977 तक की अवधि में दुर्घटनाओं में मरे कर्मचारियों की संख्या 30 है और दुर्घटनाओं के कारण अपंग हुए कर्मचारियों की संख्या 4 है ।

(ख) दुर्घटनाओं में मरे दो मामलों को छोड़ कर सभी में मामलों, मुआवजे/अनुग्रह-पूर्वक अदायगी (मुआवजे के बदले) की राशि या तो कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के पास जमा करा दी गई है या मृत कर्मचारियों के परिवारों को सीधे अदा कर दी गई है । एक मामले में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र न मिलने के कारण अनुग्रह-पूर्वक अदायगी रोक दी गई है और दूसरे मामले में दावेदारों द्वारा न्यायालय में मुकदमा दायर कर देने के कारण अनुग्रह-पूर्वक अदायगी नहीं की जा सकी है ।

(ग) भिलाई इस्पात कारखाने में एक पूरा सुरक्षा इंजीनियरी विभाग है जो इस्पात कारखाने के सभी कार्यों, (निर्माण कार्य भी शामिल है) सुरक्षा और दुर्घटना निवारक कार्यों की देखभाल करता है । इस विभाग में अर्हता प्राप्त, अनुभवी सुरक्षा इंजीनियर, सुरक्षा निरीक्षक और अन्य कर्मचारी है । कारखाने में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कारखाने में इस्पात कारखाने तथा खानों में कई उपाय किये है जिनमें सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा के बारे में कामगारों के साथ कर्मशाला स्तर पर विचार-विमर्श, सुरक्षा सेमिनारों (विचार-गोष्ठियो) का आयोजन, सामान्य सुरक्षा बैठक, सुरक्षा पाठ्यक्रम आदि शामिल हैं । इसके अलावा कामगारों के स्वास्थ्य की आवधिक जांच भी की जाती है ।